न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 35/2019

1 दीनदयाल पुत्र हणमान
2 मन्जुदेवी पत्नी प्रहलाद
3 सुभाष पुत्र प्रहलाद
4 सुरज्ञान पुत्र प्रहलाद जाति नाई निवासी बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 राधेश्याम पुत्र रामदेव जाति नाई
2 सुभीता पुत्री प्रहलाद जाति नाई
3 डुंगाराम पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार
निवासीगण बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
4 शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा बड़वासी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़ व जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील बखिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2019 मु.नं. 78/2007 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी मुकदमा राधेश्याम बनाम दीनदयाल वगै. दावा बाबत घोषणार्थ दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश बागोरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 23.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 78/2007 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट राधेश्याम ने ग्राम बड़वासी की भूमि खसरा नम्बर 298, 299, 300 के संदर्भ में घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा, विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार किया एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

काउंटर क्लेम खारिज किया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण की शहादत में न्यायालय मे न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेजात पेश किये हुये पर प्रदर्श नहीं डाले गये है। केवल वादी ने अपने साक्ष्य के शपथ पत्र में ही प्रदर्श डाले है जबकि दस्तावेजात पर प्रदर्श न्यायालय के सामने न्यायालय द्वारा ही डाले जाते है। इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर वाद वादी को डिक्री करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय में पेश वाद में वादी अपने दावे की धारा 2, 3 में यह दर्ज कर रखा है कि रामदेव के चारों पुत्रों ने प्रतिवादी संख्या 6 डुंगाराम को अपने हिस्से में से 2/3 हिस्से की भूमि का बेचान किया है व शहादत में वादी पी. डब्लु 1 राधेश्याम अपनी जिरह में यह कहता है कि जिरह की पृष्ठ संख्या 6 के उपर की लाईनों में यह कहता है कि डुंगाराम (प्रतिवादी सं.6) को मैंने, कन्हैयालाल व हणमान के अपने कुल हिस्से में से 2/3 हिस्से की जमीन का बेचान किया है। इस तरह वादी के दावे व वादी के बयानों में विरोधाभाषी बाते है। विचारण न्यायालय ने दावे में तनकी संख्या 1 को वादी के हक में तय मानने में विचारण न्यायालय ने गलती कानूनी की है। मुख्य विवाद बयनामा दिनांक 28.03.78 का है कि आया उक्त बयनामा के द्वारा जमीन किस किस ने बेची थी वादी ने अपने शपथ पत्र पी.डब्लु 1 के बयानों में उक्त बयनामा पेश नहीं किया परन्तु पी.डब्लु 1 ने अपने बयानों में उक्त शपथ पत्र पेश किया है परन्तु विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित करते समय पेश बयानामा 1978 व गवाहों के बयानों की तरफ गौर ना कर तनकी संख्या 1 का निर्णय वादी के हक में पारित करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि तथाकथित बयानामा 1978 के आधार पर गलत राजस्व रिकार्ड बन गया व अपीलान्ट ने अपने काउंटर क्लेम में उक्त गलत रिकार्ड को सही करने के बाबत क्लेम किया है व अपीलांटस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

के उक्त कथन को वादी अपनी शहादत में भी स्वीकार करता है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर मनमाने रूप से वाद वादी को स्वीकार करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1978 का अवलोकन नहीं किया लगता है। विक्रय पत्र में वादी मृतक कन्हैयालाल व मृतक हनुमान के पुत्र प्रहलाद व दीनदयाल ने अपने हिस्से की जमीन में से 2/3 हिस्से की जमीन बेचना बता रखा है। जो कि 6 बीघा 17 बिश्वा ही जमीन बनती है व बयनामा में 9 बीधा 2 बिश्वा जमीन बेचना दर्ज है जो कि बयानाम को पढने मात्र से ही साफ दृष्टिगोचर हो जाता है व 2/3 हिस्से का बेचान करना वादी राधेश्याम अपनी शहादत में साबित करता है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर ना कर वाद वादी को स्वीकार करने में व अपीलान्ट के काउन्टर क्लेम को खारिज करने में गलती कानूनी की है। बयनामा दिनांक 28.03.1978 के आधार पर भरा गया नामान्तकरण संख्या 779 दिनांक 23.05.1978 भा खारिज होने योग्य है क्योंकि नामान्तकरण विक्रय पत्र दिनांक 28.03.1978 के आधार पर भरा गया है। उक्त विक्रय पत्र एवनीसियो बोयड होने से नल एण्ड वोयड है व अपीलान्ट के अधिकारों पर बेअसर है। इस तरफ विचारण न्यायालय ने गौर ना कर मनमाने रूप से वादी का वाद स्वीकार करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि तथाकथित बयनामा के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण व उसके बाद बनने वाला समस्त राजस्व रिकार्ड अपने आप में ही गलत हो जाता है। विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट के जवाब दावे की धारा 2 के आधार पर तनकी नहीं बनाई व जवाब दावा की धारा 2 व पृष्ठ संख्या 5 पर यह साफ दर्ज कर रखा है। कि मृतक कन्हैयालाल ने अपने जीवनकाल में ही स्व. हणमान के पुत्र प्रहलाद को गोद ले लिया था व इस बाबत लिखावट भी 15.12.1983 को लिखी गई थी परन्तु विचारण न्यायालय ने इस बाबत ना तो तनकी बनाई व ना ही इस बाबत आई साक्ष्य जो कि स्वयं वादी अपनी जिरह में स्वीकार करता है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ गौर नहीं किया कि स्व. मोहन पुत्र रामदेव ने अपने हक व हिस्से की जमीन का विक्रय कभी भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रतिवादी संख्या 6 डुंगाराम को नहीं किया व बिना विक्रय नामा के मोहन की जमीन डुंगाराम के नाम से दर्ज होना अपने आप में ही गलत हो जाता है व इस गलत दर्ज जमीन का रिकार्ड भी गलत हो गया जो कि आज भी चल रहा है। विचारण न्यायालय ने विक्रय पत्र 24.10.2000 के बाबत भी गोर नहीं किया क्योंकि विक्रय पत्र दिनांक 24.10.2000 एबनीसियों वोयड है व अपीलान्ट के अधिकारों पर बेअसर है व नल एण्ड वोयड करार किये जाने योग्य है। क्योंकि दिनांक 24.10.2000 को प्रहलाद के हिस्से में 1/24 की जमीन थी ही नहीं जब प्रहलाद इस 1/24 हिस्से की जमीन का रिकार्डेड खातेदार ही नहीं था तो इस तरह का तथाकथित विक्रय पत्र नाजायज बनाये जाने से प्रतिवादी नम्बर 6 को कोई अधिकार कानूनन नहीं मिल सकते राजस्व रिकार्ड 1978 में बने तथाकथित बयनामा से ही गलत बनता आ रहा है। इस तरफ विचारण न्यायालय ने दस्तावेजात व बयानों पर गौर ना कर वाद वादी को स्वीकार करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने इस तरफ भी गौर नहीं किया कि स्व मोहन पुत्र रामदेव ने अपने हिस्से की जमीन प्रहलाद व दीनदयाल पिसरान हनुमान को दे दी थी व कब्जा भी करवा दिया था जो कि आज तक बदस्तुर चल रहा है वाद का कभी भी उक्त जमीन पर कब्जा नहीं रहा व कभी भी वादी ने इस जमीन का लगान अदा नहीं किया इस तरफ विचारण न्यायालय ने शहादत व रिकार्ड पर गौर नहीं कर वाद वादी को स्वीकार करने में गलती कानूनी की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद कथन व जवाब दावे, काउंटर क्लेम एवं जबाबउलजवाब के आधार पर 8 तनकीयात कायम की गई। उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त की गई एवं बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर वाद वादी डिक्री किया है। पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य से काउंटर क्लेम साबित नहीं होने पर कांउटर क्लेम खारिज किया गया है। विचारण न्यायालय का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत की गई है। काउंटर क्लेम के निर्णय के विरूद्ध पृथक से अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा राधेश्याम बनाम दीनदयाल वगै. ने अपने दावे की धारा 2 में दर्ज कर रखा है कि बयनामा दिनांक 28.03.1978 को खातेदार कन्हैयालाल, हणमान, मोहन व राधेश्याम ने अपने हिस्से की जमीन में से 2/3 हिस्से का बयनामा विपक्षी डुंगाराम को किया था परन्तु उक्त बयनामा पेश नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय में बयनामा दिनांक 28.03.1978 का हवाला देकर के दावा डिक्री किया है। बयनामा 28.03.1978 में काश्तकार खातेदार स्व. मोहन ने अपने हिस्से का बेचान नहीं किया है व जमाबन्दी में उक्त मोहन का हिस्सा 1/4 दर्ज है परन्तु नामान्तकरण संख्या 596 में उक्त मोहन का हिस्सा भी बेचान में दर्ज कर दिया है। विचारण न्यायालय के समक्ष मुख्य विवाद बिन्दु इस विक्रय पत्र से ही तय होना है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में इस विक्रय पत्र की प्रति साक्ष्य में प्रदर्शित नहीं करवाई गई है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। विधि अनुसार दस्तावेज प्रदर्शित करवाये बिना साक्ष्य में पठनीय नहीं है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित करवाकर बाद सुनवाई प्रकरण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (झुन्झनूं)